उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण, इंदिरा भवन, लखनऊ।

न्यायालय सं0–3

उपस्थित–माननीय डॉ0 अनिल कुमार, सदस्य (प्रशासकीय)।

निर्देश याचिका संख्या–821/2013

मंशा राम, आयु लगभग 43 वर्ष, पुत्र श्री नन्द लाल यादव, निवासी ग्राम–ठठ्ठा, पोस्ट–मालीपुर, जनपद–अम्बेडकर नगर।

याची।

बनाम

उ0 प्र0 राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास, उ0 प्र0 सिविल सचिवालय, लखनऊ।

प्रतिपक्षी।

निर्णय

(द्वारा माननीय डॉ0 अनिल कुमार, सदस्य (प्रशासकीय)।

यह निर्देश याचिका याची द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4 के अन्तर्गत निम्नलिखित अनुतोष हेतु प्रस्तुत की गयी है–

> **"(i) To issue a writ, order or direction quashing the impugned order dated 21.10.2008 and 25.06.2013 as contained as Annexure Nos. 1 & 2 respectively to this claim petition with all consequential benefits declaring the petitioner to be unaffected of all the service benefits, which have not been paid to the petitioner on the basis of impugned orders.**
>
> **(ii) To issue any order or direction, which this Hon'ble Tribunal deems fit and proper in the circumstances of the case.**
>
> **(iii) To allow the claim petition with heavy costs in favour of the petitioner."**

2. संक्षेप में; याचिका के तथ्य इस प्रकार हैं कि याची की सर्वप्रथम नियुक्ति खण्ड विकास अधिकारी के पद पर दिनांक–02.07.1997 को हुयी थी। याची के कथनानुसार कतिपय अनियमितताओं के लिए उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए जिलाधिकारी, एटा को जांच अधिकारी नामित किया गया और उसे एक आरोपपत्र दिनांक–10.09.2003 (संलग्नक–3) निर्गत किया गया, जिसमें उसके ऊपर चार आरोप लगाये गये। उक्त आरोपपत्र का उत्तर आरोपों से इनकार करते

हुए याची द्वारा दिसम्बर, 2003 (संलग्नक–4) में प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् जांच अधिकारी द्वारा याची को सुनवाई का अवसर देने हेतु कोई तिथि, स्थान व समय निर्धारित करते हुए कोई सूचना नहीं दी गयी और जांच आख्या दिनांकित–19.04.2005 (संलग्नक–5) प्रस्तुत कर दी गयी। उसके उपरान्त याची को एक कारण बताओ नोटिस दिनांक–03.08.2005 (संलग्नक–6) निर्गत की गयी, जिसका उत्तर याची द्वारा दिनांक–20.10.2005 (संलग्नक–7) को प्रस्तुत किया गया। याची का कथन है कि उसके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में उठाये गये बिन्दुओं पर बिना विचार किये दण्डादेश दिनांक–21.10.2008 (संलग्नक–1) पारित कर दिया गया, जो विधिक एवं नियमानुसार नहीं है। याची ने उक्त दण्डादेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा उसकी अपील में उल्लिखित तथ्यों पर बिना विचार किये उसकी अपील अपीलीय आदेश दिनांक–25.06.2013 (संलग्नक–2) द्वारा निरस्त कर दी गयी। अतः यह याचिका प्रस्तुत की गयी।

3. प्रतिपक्षी की ओर से प्रतिशपथपत्र/लिखित कथन प्रस्तुत किया गया जिसमें यह कहा गया कि याची द्वारा की गयी अनियमितताओं के लिए उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए जिलाधिकारी, एटा को जांच अधिकारी नामित किया गया और उसे एक आरोपपत्र दिनांक–10.09.2003 निर्गत किया गया, जिसमें उसके ऊपर चार आरोप लगाये गये। उक्त आरोपपत्र का उत्तर याची द्वारा दिसम्बर, 2003 में प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् जांच अधिकारी द्वारा याची को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपनी जांच आख्या दिनांकित–19.04.2005 प्रस्तुत की गयी, जिसमें याची को दोषी पाया गया। तत्पश्चात् याची को **उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999** के नियम–9(4) के अन्तर्गत एक कारण बताओ नोटिस दिनांक–03.08.2005 निर्गत की गयी, जिसका उत्तर याची द्वारा दिनांक–20.10.2005 को प्रस्तुत किया गया। याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में उठाये गये बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त दण्डादेश दिनांक–21.10.2008 पारित किया गया, जिसके माध्यम से याची के वेतन से रू0 35,252.70 की वसूली एवं परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित कर दिया गया, जिसमें कोई अनियमितता नहीं है। उक्त दण्डादेश के विरूद्ध याची द्वारा अपील प्रस्तुत की जिस पर सम्यक विचार करते हुए उसकी अपील अपीलीय आदेश दिनांक–25.06.2013 द्वारा निरस्त कर दी गयी, जो विधिक एवं नियमानुसार है। अन्त में यह भी कहा गया कि याची यह याचिका निराधार एवं बलहीन तथ्यों पर योजित की गयी है, जो सव्यय निरस्त किए जाने योग्य है।

4. याची की ओर से प्रतिउत्तर शपथपत्र दाखिल किया गया जिसमें प्रतिपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रतिशपथपत्र/लिखित कथन में किये गये कथनों का प्रतिकार करते हुए याचिका में किये गये कथनों की पुष्टि एवं पुनरावृत्ति की गयी।

5. मैंने याची के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिपक्षी की ओर से विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को सुना एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों, अभिलेखों एवं उपलब्ध करायी गयी विधि व्यवस्थाओं का गहनता से परिशीलन किया।

6. बहस के दौरान याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि याची द्वारा प्रस्तुत किये गये कारण बताओ नोटिस के स्पष्टीकरण पर बिना कोई विचार किये प्रतिपक्षी द्वारा दण्डादेश पारित कर दिया गया, जो सकारण, मुखरित एवं विधिसम्मत नहीं है। जबकि प्रतिपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा अपने तर्क में यह कहा गया कि याची को दोषी पाते हुए कारण बताओ नोटिस निर्गत की गयी जिसका स्पष्टीकरण याची द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिस पर सम्यक विचारोपरान्त सकारण एवं मुखरित दण्डादेश पारित किया गया, जिसमें कोई अनियमितता नहीं है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में याची पर लगाये गये आरोप के संबंध में याची को **उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999** के नियम–9(4) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक–03.08.2005 निर्गत की गयी, जिसका उत्तर याची द्वारा दिनांक–20.10.2005 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें याची द्वारा अपनी निर्दोषिता के संबंध में विस्तृत रूप से उल्लेख करते हुए अपने स्पष्टीकरण (संलग्नक–7) में यह भी कहा गया कि–

> **''आरोप सं0–1 में केवल प्राक्कलन को आधार बनाकर क्षतिपूर्ति प्रस्तावित की गयी जबकि निर्गत धनराशि रू0 87875.00 के सापेक्ष कार्य का मूल्यांकन किया जाना था। कार्य की एम0वी0 एवं आपूर्तिगत सामग्री का कुल मूल्य रू0 99178 के सापेक्ष प्राविधिक परीक्षक की आख्या की समतुलना करने पर शून्य प्रतिपूर्ति बनती है। चूंकि कार्यदायी संस्थाा स्वयं खण्ड विकास अधिकारी मारहरा नहीं हैं अपितु नवाब नगर श्रम संविदा लि0 सकीट एटा है ऐसी दशा में प्रार्थी के प्रति किसी प्रकार का आरोप तथ्यहीन है। टी0ए0सी0 मैनुअल के प्रस्तर–2:5:6 के तहत भी कोई कार्यवाही वांछित नहीं है अतः निक्षेपण योग्य है।** आरोप संख्या–2 में वास्तविक क्षतिपूर्ति प्राक्कलन 1.69 लाख रू0 **के सापेक्ष 15015 रू0 अर्थात् 8.8 प्रतिशत है। आरोप सं0–3 में प्राक्कलन 245600.00 धनराशि के सापेक्ष क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 11335.50 अर्थात् 4.61 प्रतिशत है। किन्तु पुनः कार्य पूर्ण कर दिया गया है। आरोप संख्या–4 में समस्त भुगतान बिना मापी पुस्तिका में अंकन किये जाने का है। संलग्न साक्ष्य से स्पष्ट**

होगा कि कार्य पर सामग्री का भुगतान अवर अभियन्ता द्वारा मापी पुस्तिका में पूर्णमात्र एवं गुणवत्तापरक रिपोर्ट सहित दर्ज करने के उपरान्त फर्म को एकाउन्ट पेई चेक के माध्यम से किया गया। कार्य स्थल की भौगौलिक एवं परिस्थितिकी का संज्ञान प्राविधिक परीक्षक एवं जांच अधिकारी दोनों द्वारा नहीं लिया गया है। प्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी के सम्मुख उपस्थित होकर पुनः उपरोक्त संदर्भित कार्यों का निरीक्षण करने का अनुरोध किया गया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। ऐसी दशा में जाँच आख्या पूर्वाग्रहपूर्ण, तथ्यों एवं साक्ष्यों के विपरीत प्रस्तुत की गयी है।''

परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दण्डादेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें दण्डाधिकारी ने याची के स्पष्टीकरण में उल्लिखित उक्त किसी तथ्य पर न तो सम्यक रूप से विचार किया और न ही याची के द्वारा उल्लिखित तथ्यों को न मानने का कोई कारण दर्शित किया है। दण्डाधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों के बावजूद मनमाने ढंग से याची को दोषी पाते हुए दण्डादेश दिनांक–21.10.2008 (संलग्नक–1) पारित कर दिया गया, जिससे स्पष्ट है कि दण्डाधिकारी ने सकारण एवं मुखरित रूप से आदेश पारित नहीं किया जबकि दण्डादेश में कारणों को अभिलिखित करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का महत्वपूर्ण अंग है। माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा **2006, सुप्रीम कोर्ट केसेज (एल0 एण्ड एस0), 679 राज कुमार मेहरोत्रा बनाम बिहार राज्य व अन्य** में इस संबंध में निम्न व्यवस्था दी गयी है–

"Without going into other issues raised, we are of the view that the impugned order of the respondent authority imposing punishment on the appellant cannot be sustained. Even if we assume that Rule 55-A which pertains to minor punishment was applicable and not Rule 55 which relates to major punishment, nevertheless Rules 55-A requires that the punishment prescribed therein cannot be passed unless the representation made pursuant to the show cause notice, has been taken into consideration before the order is passed. There is nothing in the impugned order which shows that any of the several issues raised by the appellant in his answer to show cause notice were, in fact, considered. No reason has been given by the respondent

> **authority for holding that the charges were proved except for the ipse dixit of the disciplinary authority. The order therefore, cannot be sustained and must be set aside."**

''कारण'' और ''निष्कर्ष'' के विभेद को स्पष्ट करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **यूनियन आफ इंडिया बनाम मोहन लाल कपूर (1993) 2 एस0सी0सी0, 836** में इस संबंध में निम्न व्यवस्था दी गई है–

> **"Reasons are the links between the materials on which certain conclusions are based and the actual conclusion. They disclose how the mind is applied to the subject matter for a decision whether it is purely administrative or quasi-judicial. They should reveal a rational nexus between the facts considered and the conclusions reached."**

माननीय उच्चतम् न्यायालय ने **(2010) 9 एस0सी0सी0 पेज–510 11 कांति एसोसिएशन (पी) लि0 बनाम मसूद अहमद खाँ व अन्य** में यह अवधारित किया है कि विभागीय कार्यवाही अर्द्ध न्यायायिक कार्य होता है तथा प्राकृतिक न्याय की यह मांग है कि सकारण आदेश होना चाहिए और यदि वह सकारण आदेश नहीं है तो इस आधार पर भी दण्डादेश अपास्त किये जाने योग्य है।

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **जी0 वल्ली कुमार बनाम आन्ध्रा एजूकेशन सोसाइटी 2010(2) सुप्रीम कोर्ट केसेज, 497** में यह व्यवस्था दी गयी है कि यदि कोई आदेश किसी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है तो उसे मुखरित होना चाहिए और उसमें संगत कारणों का विधिवत् उल्लेख होना चाहिए–

> **"That the requirement of recording reasons by every quasi-judicial or even an administrative authority entrusted with the task of passing an order adversely affecting an individual and communications thereof to the affected persons is one of the recognized facet of the rules of natural justice and violation thereof has the effect of vitiating the order passed by the authority concerned."**

8. इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से विदित होता है कि इस प्रकरण में जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा याची को सुनवाई का अवसर देने हेतु कोई तिथि, स्थान व समय निर्धारित करते हुए कोई सूचना भी नहीं दी गयी और जांच आख्या दिनांकित–19.04.2005 (संलग्नक–5) प्रस्तुत कर दी गयी, जो न्यायसंगत नहीं है। इस संबंध में **राधेकान्त खरे बनाम उ0 प्र0 कोऑपरेटिव सूगर फैक्टरीज फेडरेशन लि0 2003 (21) एल0 सी0 डी0 पृष्ठ 610 में** मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैः–

> **"After a charge sheet is given to the employee an oral enquiry is must, whether the employee requests for it or not. Hence a notice should be issued to him indicating the date, time and place of the enquiry. On that date the oral and documentary evidence against the employee should first be led in his presence vide A.C.C.Ltd. v. Their Workmen (1963) II LLI 396(SC)."**

9. आक्षिप्त दण्डादेश दिनांक–21.10.2008 (संलग्नक–1) सकारण, मुखरित एवं विधिसम्मत नहीं है, अतः निरस्त होने योग्य है। याची ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलीय प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया किन्तु अपीलीय अधिकारी ने भी याची द्वारा लिये गये आधारों को सकारण एवं मुखरित रूप से निस्तारित न करते हुए अपील दिनांक–25.06.2013 (संलग्नक–2) के आदेश से निरस्त कर दी, अतः यह आदेश भी निरस्त होने योग्य है।

10. उक्त वर्णित विधिक व्यवस्थाओं तथा उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि याची के विरूद्ध पारित दण्डादेश दिनांक–21.10.2008 (संलग्नक–1) तथा अपीलीय आदेश दिनांक–25.06.2013 (संलग्नक–2) सकारण, मुखरित एवं विधिसम्मत नहीं हैं, अतः निरस्त किये जाने योग्य हैं। निष्कर्षतः याची की निर्देश याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

निर्देश याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिपक्षी द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक–21.10.2008 (संलग्नक–1) तथा अपीलीय आदेश दिनांक–25.06.2013 (संलग्नक–2) निरस्त किये जाते हैं। याची समस्त परिणामी सेवा लाभ प्राप्त करने

का अधिकारी होगा। प्रतिपक्षी द्वारा इस निर्णय/आदेश का अनुपालन इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के अन्दर सुनिश्चित किया जाय।

उभय पक्ष अपना वाद–व्यय स्वयं वहन करेंगे।

ह0/–

(डॉ0 अनिल कुमार)
सदस्य (प्रशासकीय)

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

ह0/–

(डॉ0 अनिल कुमार)
सदस्य (प्रशासकीय)

रा0कु0श्री0/नि0स0
दिनांक–19.08.2026